KANNAUJ POLICE

दिनाँक: 30 जून 2024 **प्रेस नोट-थाना सौरिख**

दिनांक 31.05.2024 को थाना सौरिख क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या का अनावरण । थाना सौरिख पुलिस द्वारा हत्या करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनन्द द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज संसार सिंह के कुशल निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी छिबरामऊ ओमकार नाथ शर्मा के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक सौरिख दिग्विजय सिंह के नेतृत्व मे थाना सौरिख पुलिस द्वारा थाना सौरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0 256/2024 धारा 302/201/120बी IPC का कोतवाली पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुये वांछित अभियुक्तगण 1.आस्था उर्फ माधुरी उम्र करीब 25 वर्ष पत्नी स्व0 अमरीश उर्फ ऋषि निवासी ग्राम सलेमपुर रैपालपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज 2.अंकित उर्फ हेमन्त उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज 3.कन्हैया उर्फ भूरा उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र राजीव कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज को आज दिनांक 30.06.2024 को सुबह समय 08:05 बजे को हसेरन मोड पर प्रतीक्षालय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.06.2024 समय प्रात: 6.00 वजे 112-पीआरवी द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सलेमपुर (रैपालपुर) थाना सौरिख जनपद कन्नौज के बाहर खेत में गड्ढे के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है जिसकी सूचना पर थाना सौरिख पुलिस बल मौके पर पहुंचे जहाँ ज्ञात हुआ कि अमरीश उर्फ ऋषि उम्र करीव 35 वर्ष पुत्र कुँवरपाल निवासी ग्राम सलेमपुर (रैपालपुर) थाना सौरिख जनपद कन्नौज का शव है जो दिनांक 31.05.2024 को समय सायं करीब 6.00 बजे अपने घर से निकला था। अमरीश उर्फ ऋषि उपरोक्त द्वारा अपने ही खेत से मिटटी निकलवायी गयी थी जिसमे पानी भरा हुआ था। उसी गडढें में अमरीश उर्फ ऋषि का शव मिला था। ईवेन्ट की सूचना पर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। Pm report में मृत्यु का कारण Cardiac arrest आया था। प्रथम द्रष्टया जो प्राकृतिक मृत्यु थी परन्तु मृतक की माँ द्वारा बताया कि मृतक की पत्नी आस्था उर्फ माधुरी व अमरीश उर्फ ऋषि में आये दिन झगड़ा होता था तथा अमरीश शराब का आदी था। मृतक की माँ ने मृतक की पत्नी व अपने प्रेमी अंकित के साथ हत्या करने की आशंका जतायी थी। दिनांक 01.06.2024 को मृतक की मां श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी कुवर पाल निवासिनी ग्राम सलेमपुर रैपालपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज ने अपने पुत्र अमरीश उर्फ ऋषि की हत्या किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना

सौरिख पर मु0अ0सं0 256/2024 धारा 302 भादवि0 बनाम 1.आस्था उर्फ माधुरी पत्नी स्व0 अमरीश उर्फ ऋषि 2.अंकित पुत्र राम सिंह उर्फ टल्ले निवासीगण ग्राम सलेमपुर रैपालपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना मोबाइल नम्बर के सीडीआर के विश्लेषण से कन्हैया का नाम प्रकाश में आया तथा अमरीश उर्फ ऋषि की हत्या के तथ्य प्रकाश में आए।

पूँछताछ का विवरण:-

अभियुक्त अंकित उर्फ हेमंत पुत्र राम सिंह नि0 ग्राम सलेमपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज ने बताया कि मेरे गांव का अमरीश उर्फ ऋषि पुत्र कुंवर पाल छिबरामऊ कोर्ट में बाबू के पद पर सरकारी नौकरी करता था। अमरीश उर्फ ऋषि की पत्नी आस्था उर्फ माधुरी से मेरा प्रेम प्रसंग करीब 1 साल से चल रहा था और मौका पाकर मै आस्था उर्फ माधुरी से मिलने उसके घर जाता था मेरे प्रेम प्रसंग की जानकारी अमरीश उर्फ ऋषि व उनके घर वालो को हो गयी थी। अमरीश उर्फ ऋषि ही मेरे व आस्था के प्यार का सबसे बडा रोडा था। इसलिए आस्था उर्फ माधुरी व मैने प्लान बनाया कि अमरीश उर्फ ऋषि को रास्ते से हटा दिया जाये और अमरीश उर्फ ऋषि की सरकारी नौकरी आस्था उर्फ माधुरी को मिल जायेगी और हम लोगो शादी कर लेगे और आराम से रहेंगे। मैंने अपने गांव के कन्हैया पुत्र राजीव कुमार दिवाकर से दिनांक 29.05.2024 को फोन से बात की तथा पार्टी देने व घूमने के बहाने पहले उसे इटावा बुलाया और दिनांक 31.05.2024 को मैने इटावा से शराब की एक बोतल ली जिसमे से कन्हैया ने थोडी शराब इटावा में पी फिर हम लोग इटावा से बस से अपने गांव के सामने करीब 07 बजे उतरे थे। षडयंत्र के मुताविक पहले कन्हैया ने ही अमरीश उर्फ ऋषि को फोन किया और कहा की आपका प्रमोशन हुआ है तो पार्टी के लिये कहा तो अमरीश उर्फ ऋषि तैयार हो गया और कमलेश बाथम के ट्यूब बेल के पास बुलाने पर आ गया। कन्हैया व अमरीश उर्फ ऋषि ने पहले शराब पी जब अमरीश उर्फ ऋषि को ज्यादा नशा हो गया तो कन्हैया ने हाथ पकडे थे और मैने गला दबाकर अमरीश उर्फ ऋषि की हत्या कर दी उसके बाद हम लोगो ने उसे उठाकर खेत में बनें गडढे में फेंक दिया था और उसके बाद मैने पूरी बात आस्था उर्फ माधुरी को फोन से बतायी थी। अमरीश उर्फ ऋषि का फोन तोड कर व कपडा निचली गंग नहर में बहते पानी में फेंक दिया।

नाम पता अभियुक्तगण :

1.आस्था उर्फ माधुरी पत्नी स्व0 अमरीश उर्फ ऋषि नि0 ग्राम सलेमपुर रैपालपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 25 वर्ष

2.अंकित उर्फ हेमन्त पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 30 वर्ष

3.कन्हैया उर्फ भूरा पुत्र राजीव कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज उम्र करीब 18 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

थाना सौरिख टीम-

1. प्र0नि0 दिग्विजय सिंह
2. उ0नि0 जाहर सिंह
3. हे0 का0 हरिओम शुक्ला
4. हे0का0 रामलखन
5. का0 अजय प्रताप सिंह
6. का0 विपिन कुमार
7. का0 राहुल कसाना
8. का0 आशीष कुमार
9. म0का0 कल्पना
10. म0का0 अर्चना

सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 पंकज यादव
2. है0का0 दुष्यन्त
3. का0 शिवराज
4. का0 शुभम कुमार